बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग

आदेश

आ०सं०–01 / सू०प्रा०(स्था०)–13 / 2015.................. पटना, दिनांक : ....

बेल्ट्रॉन के द्वारा आऊट सोरसिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों / कार्यालयों में उपलब्ध विभिन्न कोटि के कर्मियों यथा–डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आशुलिपिक एवं आई०टी० ब्यॉय / गर्ल (आदेशपाल) के पारिश्रमिक एवं सेवा शर्त्तों के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिए जाते हैं :–

1. एकरारनामा की अवधि 06 (छः) माह के जगह 01 (एक) वर्ष की होगी। यदि कार्यालय से कोई विपरीत तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है, तो एकरारनामा स्वतः नवीकरण हो जायेगा तथा यह व्यवस्था 60 (साठ) वर्ष की आयु होने तक लागू रहेगी।
2. वेतन वृद्धि हेतु निर्धारित दक्षता परीक्षा (3 वर्ष / 10 वर्ष) के स्वरूप परिवर्त्तन को आगामी परीक्षा में तार्किक बनाया जाएगा।
3. संविदा कर्मियों को प्रत्येक वर्ष पारिश्रमिक में पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। यह वृद्धि प्रत्येक कर्मियों द्वारा एक वर्ष संविदा में नियोजन (नियोजन अवधि सरकार में उनके प्रथम योगदान की तिथि से माना जायेगा) के उपरान्त ही स्वीकृत होगी। पारिश्रमिक वृद्धि की गणना हमेशा जनवरी माह के पहली तारीख को ही की जाएगी चाहे लाभार्थी जनवरी माह के किसी भी तारीख को योगदान किया हो। फरवरी एवं उससे आगे के किसी माह में योगदान करने वाले संविदा कर्मी को उसके एक वर्ष के अवधि के पश्चात् आने वाली पहली जनवरी से ही पारिश्रमिक वृद्धि की भुगतान की देयता होगी।
4. महिला संविदा कर्मियों को तत्काल 02 (दो) माह तक मातृत्व अवकाश पूर्ण वेतन सहित स्वीकृत किया जा सकेगा। आकस्मिक अवकाश 06 (छः) दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में कार्य करने वाले संविदा कर्मियों को संविदा नियोजन के एक वर्ष में 15 (पन्द्रह) तथा 05 (पाँच) दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालय में संविदा कर्मियों को संविदा नियोजन के एक वर्ष में 12 (बारह) दिनों का आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति देय होगी।
5. ऐसे प्रतिनियुक्ति संविदा कर्मियों की सेवा को सरकारी सेवा में नियोजन नहीं माना जायेगा और सरकारी सेवक के अनुमान्य कोई भी अन्य सुविधा देय नहीं होगा। इस नियोजन के नियमितीकरण का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। समकक्ष पदों के वेतनमान में तुलनात्मक विसंगति उत्पन्न होने अथवा अन्य अप्रत्याशित स्थिति में पारिश्रमिक का पुनःरीक्षण किया जा सकता है।
6. उक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की सहमति प्राप्त है।

यह आदेश 01 जनवरी, 2017 के प्रभाव से लागू माना जायेगा।

ह०/–
(राहुल सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 01 / सू०प्रा०(स्था०)–13 / 2015................. पटना, दिनांक ....
प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव

क्रमशः 2/–

ज्ञापांक : 01/सू०प्रा०(स्था०)–13/2015................ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि : सभी कोषागार/उप कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 01/सू०प्रा०(स्था०)–13/2015................ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि : सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 01/सू०प्रा०(स्था०)–13/2015................ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि : प्रबन्ध निदेशक, बेल्ट्रॉन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 01/सू०प्रा०(स्था०)–13/2015 576 पटना, दिनांक 27/04/2017

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव कोषांग/अपर सचिव कोषांग/विशेष कार्य पदाधिकारी/आई० टी० प्रबन्धक, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई० टी० प्रबन्धक को निदेश दिया जाता है कि सूचना प्रावैधिकी विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

सरकार के सचिव

राजन
25.04.17